विधायक निधि योजना

दिशा–निर्देश

ग्रामीण विकास विभाग,उ0प्र0 सरकार
www-rd.up.inc.in
www-mlaladsup.in

सारणी

पृष्ठ संख्या

(1) माननीय मंत्री महोदय का संदेश.....1

(2) योजनाओं की मुख्य विशेषताएं.....2

(3) निर्माण कार्यो की स्वीकृति और निष्पादन.....4

(4) धनराशि का अवमोचन.....7

(5) अनुवण व्यवस्था.....10

(6) सामान्य 11

(7) विधायक निधि के अर्न्तगत कराये जा सकने वाले कार्य.....12

(8) विधायक निधि के अर्न्तगत न कराये जा सकने वाले कार्य.....21

विधायक निधि योजना दिग्दर्शिका

माननीय मुख्यमंत्री ने 19 जून 1998 को वर्ष 1998–99 के बजट अनुमानों पर बजट भाषण में यह कहा कि गत वर्ष से विधान सभा तथा विधान परिषद के मा० सदस्यों द्वारा समय–समय पर यह मांग उठाई जाती रही है कि सांसद निधि की तरह विधान मण्डल के सदस्यों को भी विकास कार्य हेतु धनराशि नियत की जाये जिससे वे अपने क्षेत्रों में विकास हेतु कार्यों का चयन कर सके।

1.1 स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति, संतुलित विकास के उद्देश्य से तथा जनता की विभिन्न कार्यों की तात्कालिक मांग के संदर्भ में मा० सदस्यगण की भावनाओं का समादर करते हुए मा० मुख्यमन्त्री जी ने यह घोषणा की कि वर्ष 1998–99 से विधान सभा तथा विधान परिषद के प्रत्येक मा० सदस्य को अपने–अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रति वर्ष रु0 50 लाख उपलब्ध कराने हेतु लगभग रू0 260 करोड़ की **"विधायक निधि"** बनायी जायेगी। क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्ष 2000–2001 से प्रति विधायक क्षेत्र रु0 75.00 लाख, वर्ष 2012–13 से रु0 1.50 करोड, वर्ष 2018–19 से रु0 2.00 करोड़ तथा रू0 40 लाख जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति के लिए कुल रु0 2.40 करोड़ तथा वर्ष 2020–21 से रु0 3.00 करोड़ एवं **वर्ष 2023–24 से रु0 5.00 करोड़ (जी0एस0टी0 सहित) कर दिया गया है।**

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा० सदस्यों को विकास कार्य हेतु **"विधायक निधि"** के संदर्भ में निम्नलिखित संशोधित मार्गदर्शी निर्देश एतद्द्वारा जारी किये जा रहे है।

1.2 इस योजना के अन्तर्गत विधान मण्डल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण संबंधित मुख्य विकास अधिकारी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष रु0 5.00 करोड़ की धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) तक विकास कार्य कराये जाने का प्रस्ताव देगें।

1.3 विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर भी ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष रु0 5.00 लाख तक की धनराशि के कार्यों की संस्तुति कर सकते हैं, जो प्रदेश के किसी भी भाग में गम्भीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पुनर्वास उपायों के लिए विधायक विकास निधि योजना के अन्तर्गत अनुमेय है।

शासनादेश संख्या–998/अड़तीस–9–2012–500(17)/2012टी0सी0 दिनांक 08.08.2013 द्वारा यह संशोधन किया गया है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त विधान मण्डल

के मा० सदस्य प्रदेश के बाहर भी ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु प्रतिवर्ष अनुमन्य धनराशि के 7.5 प्रतिशत की धनराशि मुख्यमंत्री राहतकोष (उ0प्र0) के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यों की संस्तुति कर सकते हैं, जो देश के किसी भी भू–भाग में गम्भीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पुनर्वास उपायों के लिए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत अनुमन्य हैं।

योजना की मुख्य विशेषतायें:–

2.1 प्रत्येक विधान मण्डल के मा० सदस्य द्वारा अनुभव की जा रही आवश्यकतानुसार सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को निर्माण कार्यों का विवरण देंगे, जो स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें कार्यान्वित करायेंगे अर्थात मुख्य विकास अधिकारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन कार्य करते हुए राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे। शासनादेश संख्या–18/2023/156/अड़तीस–9–23/500(39)/2023टी0सी0 दिनांक 03.07.2023 द्वारा यह संशोधन किया गया कि "विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए शासकीय कार्यदायी विभागों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यदायी संस्था/राज्य सरकार के उपक्रम/निगमित निकाय, जो निर्माण कार्यों के लिये अधिकृत हैं, उन्हे इस योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था के रूप में इस शर्त के साथ नामित किया जाय कि ऐसी कार्यदायी संस्थाएं इस योजना के अन्तर्गत सैंटेज चार्जेज की मांग नहीं करेंगी"। "ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतीराज संस्थाओं व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को कार्यान्वयन एजेसियों के रूप में संविधान के पार्ट IX व IXA अनुरूप वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। जनपद स्तर पर उपलब्ध ऐसी कार्यदायी संस्थाओं की सूची जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जायेगी, परन्तु इस सूची में ऐसी कार्यदायी संस्थाओं को, जिन्होंने पिछले वर्ष के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण नही किया है, पुनः सम्मिलित नही किया जायेगा। विधायक निधि की धनराशि से कोई भी कार्य समस्त बहुराज्यीय (MultiState) सहकारी समितियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं/स्वयं सेवी संगठनों (NGO's)/सहकारी संघों/सहकारी समितियों/निजी ठेकेदारों के माध्यम से नहीं कराया जायेगा।"

परन्तु विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण कार्य, जो सरकार अथवा स्थानीय निकायों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के हों, प्रधानाचार्य/प्रबन्धक के माध्यम से भी कराया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के

सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जायेगा कि चुने हुए प्रतिनिधि एवं उनके परिवारीजन का कराये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में कोई हितों का टकराव न हो।

2.2 इस योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होंगे। स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी निधियों का उपयोग राजस्व व्यय के लिए नहीं किया जायेगा। इस निधि का उपयोग सेवा सम्बन्धी अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था जैसे प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है लेकिन इनमें उपर्युक्त सुविधाओं के रख–रखाव के लिए कर्मचारी रखने जैसा कोई आवर्ती व्यय सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2.3 इस योजना से सम्बंधित धनराशि का उपयोग किसी बड़े कार्य की लागत को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जा सकता है जैसे तटबन्ध और उनसे जलनिकास करने सम्बन्धी किसी छोटे कार्य (माईक्रो हाइडेल वर्क) की लागत आंशिक रूप से पूरा करना। ऐसा केवल उसी दशा में किया जाय जब उससे निर्माण कार्य पूरा हो सकता हो। इस प्रस्तर के अधीन जहाँ किसी परियोजना का अंशतः व्यय इस योजना की निधि से पूरा किया गया हो परियोजना का वह भाग स्पष्ट रूप से पहचान के योग्य हो।

2.4 कभी–कभी कार्यों की प्रकृति के अनुसार उनके निष्पादन में एक वर्ष से अधिक समय लग सकता है। उन परिस्थितियों में इस योजनान्तर्गत निष्पादन अभिकरणों को कार्य के निष्पादन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए धनराशि अग्रिम रूप से अथवा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध करायी जा सकती है।

2.5 विधान सभा/विधान परिषद के मा० सदस्य द्वारा चयनित कार्य के स्थल को मा० सदस्य की सहमति के बिना बदला नही जा सकता है।

2.6(अ) इस बात पर बल नही दिया जाना चाहिये कि चयन किये गये निर्माण कार्य के लिये अनिवार्यतः सरकारी भूमि ही हो। यह नगर पालिका/पंचायती संस्थाओं, निजी न्यासों, व्यक्तियों द्वारा अभ्यर्पित की गयी भूमि भी हो सकती है। केवल इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि जिस संस्था या व्यक्ति ने भूमि अभ्यर्पित की है उसका उस भूमि को अभ्यर्पित करने का स्वामित्वाधिकार होना चाहिये। जिला प्राधिकारियों को यथाशीघ्र यह सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय भूमि का अभ्यर्पण नियमों के अंतर्गत हो, जिस अभ्यर्पित/स्थानांतरित भूमि का अभ्यर्पण किया गया हो। "अनापत्ति

प्रमाण–पत्र" के अनुसार भूमि अभ्यर्पण जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त पद्धति को तब तक पर्याप्त समझा जा सकता है जब तक वह अभ्यर्पण कानूनी वैधता प्राप्त करें। साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी जिसके लिए निर्माण किया गया है।

2.6(ब) विधायक निधि की धनराशि से विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के भवनों एवं शिक्षण संस्था के अन्य भवनों के निर्माण एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भवनों के निर्माण के बाद उक्त निर्मित भवन का स्वामित्व संबंधित संस्था का होगा तथा यदि भूमि अभ्यर्पित करनी है तो अभ्यर्पण संस्था के पक्ष में होगा।

2.7 इस योजना के अर्न्तगत कराए जा सकने वाले कार्यों की दृष्टान्त सूची परिशिष्ट–1 में दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत जिन कार्यों को नहीं कराया जा सकता है, उसकी सूची परिशिष्ट–2 में दी गयी है।

2.8 इस योजना के अर्न्तगत आने वाले किसी भी कार्य के लिए आपूर्ति–कर्ताओं को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है।

2.9 मुख्य विकास अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के रख–रखाव और अनुश्रवण की व्यवस्था सम्बधित स्थानीय निकाय अथवा सम्बद्ध अभिकरण से किया जाये।

निर्माण कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन

3.1 निर्माण कार्यों को अभिज्ञापित करने, उनका चयन करने तथा उन्हे स्वीकृति देने के पहले मुख्य विकास अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह सम्बन्धित मा० सदस्य की सहमति प्राप्त करें। यदि निर्माण कार्यो को करवाये जाने के लिए कोई तकनीकी कारण जैसे चयनित भूमि का अनुकूल न होना आदि, बाधक न हो, तो सामान्यतः विधान सभा/विधान परिषद के माननीय सदस्यों के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। जिन मामलों में मुख्य विकास अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित कार्य निष्पादित नही करवाया जा सकता है, उनके सम्बन्ध में कारणों का उल्लेख करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट वे सम्बद्ध माननीय सदस्यों को भेजेगें तथा उसकी एक–एक प्रति प्रदेश सरकार के सम्बंधित विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग, प्रदेश सरकार को भी सूचनार्थ भेजेगें।

3.2 जहाँ तक सम्भव हो सके वहाँ तक सभी निर्माण कार्यों को सम्बंधित मा० सदस्यों से उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के अन्दर ही स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिये। उक्त स्वीकृति पश्चात् कार्य विलम्बतम 03 माह के अन्दर प्रारम्भ करा दिया जाय।

3.3 जहाँ तक तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में निर्णय जिला स्तर पर ही लिया जाना है। यदि आवश्यकता पड़े तो इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूरा एवं अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिलो के तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य निर्वाहकों को प्रत्यायोजित कर देना चाहिये।

3.4 एक से अधिक जिलो में फैले विधान सभा/विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के मामले में वह मुख्य विकास अधिकारी जो प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गयी धनराशि को प्राप्त करते हैं, मा० सदस्यों की इच्छानुसार अपेक्षित धनराशि अन्य सम्बंधित जिलों को भी उपलब्ध करवायेंगे ताकि अन्य जिले के उनके निर्वाचन क्षेत्रों में सुझाये गये निर्माण कार्यो को कार्यान्वित किया जा सके।

3.5 चूँकि इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, जल आपूर्ति और आवास निगम आदि जैसे प्रदेश सरकार के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जायेगा, अतः सम्बधित मुख्य विकास अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर निर्माण कार्यों के समन्वय और उनके समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। उपर्युक्त कार्यान्वयन अभिकरण, प्रबन्ध सम्बन्धी आरम्भिक कार्यो का कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण आदि से सम्बंधित अपनी सेवाओं के लिए किसी तरह का प्रशासनिक व्यय, सेंटेज चार्जेज आदि नहीं लेंगे।

शासनादेश संख्या–1240/अड़तीस–9–13–500(17)/2012 दिनांक 14.10.2013 एवं शासनादेश संख्या–28/2017/320/38–9–2017–05(रिट)/2014, दिनांक 04.07.2017 द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर में संशोधन किया गया(विस्तृत अंश 2.1 के अनुसार)।

3.6 इस योजना के लिए राज्य में ग्राम्य विकास विभाग, नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन से जुड़े सभी अभिकरणों को यह सामान्य निर्देश जारी करेंगे कि वे मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत उन्हें अग्रेसित किये गये निर्माण कार्यो में सहयोग और सहायता प्रदान करें तथा उन्हें कार्यान्वित करायें। ऐसे निर्देशों

की प्रतियाँ सदस्य विधान सभा/विधान परिषद को भी निर्वाचन क्षेत्रों तथा प्रदेश में स्थित उनके पतों पर भेजी जाये।

3.7 इस योजना के अर्न्तगत किये गये सभी कार्यों पर सामान्य वित्तीय और लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रक्रियाएं इस मार्गदर्शी सिद्धान्तों विशेषकर जिनका उल्लेख पैरा 3.3 मे किया गया है, को ध्यान में रखते हुए लागू होगी।

3.8 इस योजना के अर्न्तगत प्रति वर्ष रू. 5.00 करोड (जी0एस0टी0 सहित) का आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए है। यद्यपि किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, बदल सकते हैं और ऐसे परिवर्तन का कारण चाहे कुछ भी हो, चूँकि आवंटन निर्वाचन क्षेत्र के लिए होता हैं, इसलिए इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों पर कार्यवाही निरंतर जारी रखनी चाहिये। मुख्य विकास अधिकारी इस सम्बन्ध में पूर्व और वर्तमान मा० विधान सभा/विधान परिषद् सदस्यों तथा सम्बंधित कार्यन्वयन अभिकरण के बीच समन्वय की भूमिका निभायेंगे।

जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जिला योजना में तैयार किए गये कार्यों की सूची मा० विधान मण्डल सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे कि जिला योजना में चिहिन्त कार्यों में से, जो कार्य विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कराये जा सकते है, उन कार्यों को कार्यान्वित किये जाने हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से धनराशि संबंधित मा० सदस्य की अनुसंशा के उपरान्त उपलब्ध करायी जा सके।

3.9 माननीय विधान सभा/विधान परिषद सदस्य के किसी भी कारण परिवर्तित होने या उनके स्थान रिक्त होने की स्थिति में या संविधान के अनुसार विधान सभा की अवधि अवशेष होते हुए भी त्यागपत्र देने की स्थिति में पूर्ववर्ती मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्य द्वारा अभिज्ञापित यदि कोई कार्य निर्माणाधीन है तो उसे तो पूरा किया जायेगा किन्तु कोई भी नया कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा और नये कार्यो के सापेक्ष कोई धनराशि किसी भी दशा में अवमुक्त नहीं की जायेगी चाहे उन्होंने अपना प्रस्ताव रिक्त होने के पूर्व ही सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया हो और चाहें सक्षम प्राधिकारी ने उसे स्वीकार भी कर लिया हो।

3.10(अ) विधान परिषद के वे सदस्य जो विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने गये है, के पूर्ववती सदस्यों द्वारा छोड़ी गयी अव्ययित (अनस्पेन्ट) शेष धनराशि को उत्तरवर्ती सदस्यों में बराबर–बराबर वितरित कर दिया जाये।

(ब) विधान परिषद के वे सदस्य जो मनोनीत है, के पूर्ववर्ती सदस्यों द्वारा छोड़ी गई अव्ययित (अनस्पेन्ट) शेष धनराशि को उत्तरवर्ती सदस्यों में बराबर–बराबर वितरित कर दिया जाये।

धनराशि का अवमोचनः–

4.1. शासनादेश संख्या–18/2023/156/अड़तीस–9–23/500(39)/2023टी0सी0 दिनांक 03.07.2023 में यह प्राविधान है कि विधान मण्डल के मा० सदस्य द्वारा एक वित्तीय वर्ष में रु0 5.00 करोड़ (जी0एस0टी0 सहित) के कार्यों के प्रस्ताव दिये जा सकते हैं, बशर्ते कि किसी एक कार्य की अनुमानित लागत रु0 25.00 लाख से अधिक न हो, परन्तु रु0 25.00 लाख की सीमा से अधिक की किसी वृहद अवस्थापना परियोजना यथा कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स या ऑडीटोरियम के कार्य अपवाद स्वरूप प्रशासकीय विभाग के मा0 मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त कराये जा सकते हैं।

किसी कार्य के सापेक्ष धनराशि इंगित करते हुए उक्त धनराशि को अवमुक्त करने की संस्तुति नही की जायेगी। किसी भी संस्था/इकाई को रु0 25.00 लाख की सीमा तक ही कार्य आवंटित किये जा सकेंगे, परन्तु रु0 25.00 लाख की सीमा से अधिक की किसी वृहद अवस्थापना परियोजना यथा कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, ऑडीटोरियम के कार्य अपवाद स्वरूप प्रशासकीय विभाग के मा0 मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त कराये जा सकते हैं।

परन्तु विधान मण्डल के एक से अधिक मा0 सदस्य द्वारा (मा0 सदस्य विधान सभा के मामले में उनके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किन्तु उसी जनपद की सीमा के अन्तर्गत तथा मा0 सदस्य विधान परिषद के मामले में उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसी जनपद के अन्तर्गत) किसी परियोजना का चयन संयुक्त रूप से किया जा सकता है तथा प्रत्येक मा0 सदस्य द्वारा रू0 25.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत धनराशि दिये जाने की संस्तुति की जा सकती है। ऐसी परियोजना के मामले में एक कार्य के लिए अधिकतम धनराशि दिये जाने की निर्धारित सीमा शिथिल मानी जायेगी।

इस सम्बन्ध में ऐसी परियोजना को ही संयुक्त रूप से चयन किया जाये, जिस परियोजना से मा0 सदस्यों के सम्बन्धित विधान मण्डल क्षेत्रों को संयुक्त रूप से लाभ मिलता हो।

4.2 इन्ट्री टैक्स से प्राप्त होने वाली धनराशि ही विधायक निधि में संचयित की जायेगी। इसकी अधिकतम सीमा रू० 260.00 करोड़ होगी। इन्ट्री टैक्स की प्राप्ति के उपरान्त की धनराशि पी०एल०ए० में अन्तरित की जायेगी। चूँकि इस धनराशि से निर्माण कराये जाने होगें, अतः अन्तरित की जाने वाली धनराशि की व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगीः–

प्रथम त्रैमास में 35 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास में 15 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास में 35 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास में 15 प्रतिशत

वर्ष 1998–99 के लिए अन्तरित की जाने वाली धनराशि 50 प्रतिशत की दर से दो किश्तों में होगी। यह धनराशि डी०आर०डी०ए० के पी०एल०ए० में रखी जायगी और व्यपगत नहीं होगी।

विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि के आडिट का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष में व्यय की गई धनराशि की आडिट उसी वर्ष अथवा अगले वित्तीय वर्ष के दो माह (अप्रैल मई) के अन्दर ही की जायगी। प्रत्येक वर्ष में किये गये निर्माण कार्यों की तकनीकी ऑडिट तकनीकी लेखा प्रकोष्ठ द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। विकास कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाये जाने के उद्देश्य से इस निधि से कराये जा रहे कार्यों के विवरण (भौतिक एवं वित्तीय प्रगति) की सूचना जनसाधारण को शुल्क लेकर कार्यदायी संस्था/ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने एवं दुरुपयोग को रोकने के लिए कराये गये कार्यों की जॉच प्रदेश एवं जनपद स्तर पर गठित तकनीकी कमेटी के माध्यम से करायी जायेगी जो अपनी रिपोर्ट क्रमशः शासन एवं जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को सौपेंगी। मुख्य विकास अधिकारी के अलावा संयुक्त विकास आयुक्त/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला गाम्य विकास अभिकरण/उपायुक्त(मनरेगा)/उपायुक्त(एन0आर0एल0एम0) से भी 5–5 प्रतिशत निरीक्षण कराया जाय।

4.3 धनराशि के अवमुक्त करते समय ग्राम्य विकास विभाग, सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों से परामर्श करके निर्माणाधीन कार्यों को पूरा कराने के लिए अपेक्षित

धनराशि का आंकलन करेगा। कार्यों की प्रकृति के आधार पर धनराशि की आवश्यकता पहले पूरी की जायेंगी, और तब नये निर्माण कार्यों के लिये अवशेष आवंटन पर विचार किया जायेगा।

4.4 किसी एक कार्य के लिए धनराशि को तत्परता के साथ अवमुक्त किया जाना चाहिये। निर्माणाधीन कार्यों की लागत का 75 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में और शेष धनराशि का कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति का आकलन करते हुए स्वयं की संतुष्टि के पश्चात अवमुक्त किया जाय। शासनादेश संख्या–1031/38–9–09–500(103)/08 दिनांक 01.07.2009 द्वारा यह संशोधन किया गया कि विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य की अनुमोदित लागत के 60 प्रतिशत के बराबर धनराशि प्रथम किश्त के रूप में कार्यदायी संस्था/विभाग को उपलब्ध करवायी जायेंगी तथा प्रथम किश्त की इस धनराशि का कम से कम 75 प्रतिशत व्यय होने एवं कार्य की गुणवत्ता से संन्तुष्ट होने के उपरान्त शेष 40 प्रतिशत धनराशि द्वितीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी।

4.5 यदि सम्बन्धित मा० सदस्य विधान सभा/विधान परिषद विधायक निधि का उपयोग करने में रूचि नहीं रखते हैं तो वह ग्राम्य विकास विभाग को सूचित करेंगे जिससे निधि का निर्गम वापस लिया जा सके।

4.6 वे कार्यदायी संस्थायें जिनका पी०एल०ए० एकाउन्ट नही हैं और जो विधायक निधि की 'धनराशि को राष्ट्रीकृत बैंकों के बचत खातों में रखते हैं, उससे अर्जित ब्याज को उन्हें संबंधित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में वापस करना होगा। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा इस धनराशि को सुसंगत राजस्व प्राप्ति लेखा–शीर्षक में जमा करा दिया जाये।

4.7 उपयोगिता प्रमाण–पत्र निम्न प्रारूप के अनुसार प्राप्त किया जायेगाः–

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना
(विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना)
जनपद–

मा0 विधान सभा/मा0 विधान परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र .....में वर्ष .....हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त की गई निधि का उपभोग प्रमाण–पत्र।

मा0 विधान सभा/मा0 विधान परिषद सदस्य का नामः–

क0सं0	पत्र संख्या व दिनांक	धनराशि	व्याख्या

			प्रमाणित किया जाता है कि विधायक निधि योजना अन्तर्गत राज्य सरकार के हाशिये में उल्लिखित पत्रों के माध्यम से वित्तीय वर्ष .....में रू0..... राज्य सरकार से प्राप्त हुआ। गत वर्ष की अवशेष धनराशि रूपये..... एवं अर्जित ब्याज रूपये..... .....उपलब्ध धनराशि रूपये..... सम्बन्धित मा0 विधान सभा/मा0 विधान परिषद सदस्य द्वारा अनुशंसित एवं विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत रूपये..... का उपभोग कार्य निष्पादन हेतु कर लिया गया है, तथा अवशेष धनराशि रूपये.....के उपभोग की कार्यवाही की जा रही है।

पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद मैं प्रमाणित करता हूॅ कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, विधिवत पूरी कर ली गई है और मैंने यह देखने के लिए रिकार्ड की जॉच की है कि धन का उपयोग वास्तविक रूप से उसी उद्देश्य के लिए हुआ है, जिसके लिए यह स्वीकृत हुआ था।

नोटः– योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष.....में उपलब्ध धनराशि रू0 .....में से अंकन रू0 .....की धनराशि का उपभोग कार्य निष्पादन हेतु कर लिया गया है, जो ..... प्रतिशत है।

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,
जनपद–

मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद–

अनुश्रवण व्यवस्था :–

5.1 इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा राज्य सरकार और ग्राम्य विकास विभाग, के साथ समन्वय बनाये रखने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। मुख्य विकास अधिकारी को इन कार्यों में से कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए तथा इसी प्रकार इन निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे नियमित रूप से इन निर्माण कार्यों का दौरा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं एवं विशिष्टियों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही है। इसी तरह

उप–क्षेत्रीय तथा खण्ड स्तर पर जिले के अधिकारियों को निर्माण कार्य के स्थलों का दौरा करके इन कार्यों के कार्यान्वयन का भी निकट अनुश्रवण करना चाहिए। ऐसे दौरे और अनुश्रवण अधिक से अधिक लाभप्रद हो, इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी को चाहिए कि वे इनमें मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को भी शामिल करें। मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों और ग्राम्य विकास विभाग राज्य सरकार को 2 महीने में एक बार उपर्युक्त अनुश्रवण की रिपोर्ट भी उनके द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा एक निरीक्षण सूची तैयार की जानी चाहिए, जिसमें निष्पादन अभिकरणों के प्रत्येक पर्यवेक्षण स्तरीय कर्मचारी के लिए क्षेत्रीय निरीक्षणों की न्यूनतम संख्या निर्धारित हो।

5.2 ग्राम्य विकास विभाग कार्यान्वयनाधीन निर्माण कार्यों की एक पूर्ण एवं नवीनतम स्थिति की सूचना सदैव रखेगा।

5.3 इस योजना से सम्बन्धित अनुश्रवण प्रपत्र तथा अन्य बिन्दु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समय–समय पर निर्णीत किये जायेंगे।

5.4 मुख्य विकास अधिकारियों को चाहिए कि वे इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में सूचना एवं रिर्पोटों की प्रतियाँ मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को भी उपलब्ध कराये।

5.5 इस योजना के कार्यान्वयन में निरन्तर सुधार लाने के लिए नियोजन विभाग समूहों में मुख्य विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकता है जिसमें मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को शामिल कर उनसे संवाद भी स्थापित किया जा सकेगा।

सामान्यः–

6.1 स्थानीय लोगों को यह सूचित करने के लिए कि कार्य विशेष मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्य द्वारा विधायक निधि से करवाया गया है. "मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्य के विधायक निधि योजना का निर्माण कार्य" लिखा हुआ सूचना पट्ट कार्यस्थल पर लगवाया जाय।

6.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को किसी ऐसी समस्या/स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसका उल्लेख इन मार्ग–दर्शी सिद्धान्तों में नहीं किया गया है। समुचित स्पष्टीकरण के लिए ऐसे मामलें ग्राम्य विकास विभाग के साथ उठाये जा सकते हैं ।

6.3 कभी किसी भी कारणवश मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्य परिवर्तित हैं और यदि पूर्ववर्ती मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्य द्वारा कोई भी कार्य अभिज्ञापित नहीं किया गया हो, तो उन पूर्ववर्ती मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्य के सम्बन्ध में आबंटित अथवा अवमोचित राशि उनके उत्तरवर्ती मा० विधान सभा/विधान परिषद सदस्य को उस वर्ष के लिए आवंटित रू0 500.00 लाख की धनराशि से अतिरिक्त नहीं उपलब्ध होगी।

विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची

परिशिष्ट 1

विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की दृष्टान्त सूची

1. विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण जो सरकार अथवा स्थानीय निकायों के अधीन हों। ऐसे भवन यदि मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हों, तो उनका निर्माण कार्य प्रधानाचार्य/प्रबन्धक के माध्यम से कराया जा सकता है।
2. गॉवों, कस्बों अथवा नगरों में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु नलकूपों और पानी की टंकियों का निर्माण अथवा ऐसे अन्य निर्माण का निष्पादन जो इस दृष्टि से सहायक हो।
3. गॉवों और कस्बों तथा नगरों में सड़क का निर्माण जिसमें पार्ट सड़के, सम्पर्क मार्ग, लिंक सड़के आदि भी सम्मिलित हैं। विधायक निधि के अन्तर्गत अधिकतम 20 प्रतिशत धनराशि का सड़कों की मरम्मत एवं उनके गढ्ढों को भरने हेतु उपयोग विधायक निधि के अन्तर्गत बनाये गये मानकों में अनुमन्य किया जायेगा। इन कार्यों हेतु सम्बन्धित विधायकगण अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्ताव दे सकेंगे तथा इन कार्यों को कराने हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों हेतु लोक निर्माण विभाग होगा तथा नगरीय क्षेत्र हेतु लोक निर्माण विभाग/जल निगम/ नगर निगम/विकास प्राधिकारण होंगे।"
4. उपर्युक्त सड़कों और अन्यत्र टूटी सड़कों/नलकूपों की नालियों एवं नहरों पर पुलियों/पुलों का निर्माण।
5. वृद्धों अथवा दिव्यांग के लिए सामान्य आश्रय गृहों का निर्माण।
6. मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेल–कूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेल–कूद सम्बन्धी गतिविधियों अथवा अस्पतालों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण। व्यायाम केन्द्रों, खेल–कूद संघों, शारीरिक शिक्षा–प्रशिक्षण

संस्थानों आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधायें (मल्टीजिम फैसिलिटीज) उपलब्ध कराने की अनुमति है।

7. सार्वजनिक सिंचाई और सार्वजनिक जल निकास सुविधाओं का निर्माण।
8. सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय।
9. शवदाह/श्मशान भूमि पर शवदाह गृहों और ढॉचों, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड सेमेट्री का निर्माण।
10. सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण।
11. नाले और गटर।
12. पैदल पथ, पगडंडियॉ और पैदल पुलों का निर्माण।
13. शहरों, कस्बों तथा गॉवों में और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के निवास क्षेत्रों में बिजली, पानी, पगडंडियों, सार्वजनिक शौचालयों आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था गंदी बस्ती क्षेत्रों में तथा कारीगरों हेतु सामान्य कार्यशाला, शेडो का प्राविधान।
14. आदिवासी क्षेत्रों में आवासी विद्यालय।
15. सार्वजनिक परिवहन यात्रियों के बस पड़ाव/शेडों का निर्माण।
16. पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और प्रजनन केन्द्र।
17. सरकारी अस्पतालों के लिए एक्सरे मशीन, एम्बुलेस जैसी सुविधाओं और अस्पताल उपकरणों की खरीद करना तथा सरकार/पंचायती राज संस्थानों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते–फिरते दवाखानों की व्यवस्था करना!

रेडक्रास सोसायटी अथवा अन्य प्रतिष्ठित सेवा संस्थाओं में से किसी एक को निम्न प्रतिबन्धों के साथ रोगी वाहन (एम्बुलेन्स) उपलब्ध कराया जा सकता है।

I. पूर्व में एक जनपद में केवल रोगी वाहन (एम्बुलेन्स) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था थी। शासनादेश संख्या–43/2016/407/अड़तीस–9–16–500(17)/2012 दिनांक 11 अगस्त, 2016 के अनुसार परिशिष्ट–1 के बिन्दु संख्या–17(1) में यह संशोधन किया गया कि "प्रत्येक विधान सभा/विधान परिषद क्षेत्र में एक ही रोगी वाहन(एम्बुलेन्स) की सुविधा, रेडक्रास सोसाइटी अथवा अन्य प्रतिष्ठित सेवा संस्थानों में से किसी एक को, उपलब्ध कराई जायेगी।"
II. सेवा संस्था कम से कम तीन वर्षों से जनपद में अस्तित्व में हो।
III. सेवा संस्था अच्छी तरह स्थापित एवं प्रतिष्ठित हो प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में निर्णय जिलाधिकारी द्वारा संस्था के सुसंगत कार्यों, जैसे समाजसेवा

कल्याणकारी कार्यों, उनकी सम्पूर्ण ख्याति, लाभरहित कार्यो, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं उनकी सृदृढ वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाये।

IV. उक्त संस्था को आयकर विभाग द्वारा 80–जी के अंतर्गत आयकर छूट अनुमन्य हो।

V. इन सेवा संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाने वाली एम्बुलेंस का उपयोग केवल रोगियों के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा।

VI. इस परिसम्पत्ति का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इसका विक्रय/हस्तांतरण निस्तारण राज्य सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगा।

VII. वाहन सम्बन्धित संस्था को इस शर्त पर दी जायेगी कि वाहन अनुरक्षण एवं रख रखाव तथा परिचालन (चालक के वेतन सहित) आदि पर होने वाला समस्त आवर्तक व्यय सम्बन्धित संस्था द्वारा वहन किया जायेगा तथा इसका सामयिक संप्रेक्षण एवं निरीक्षण राज्य सरकार के अधीन होगा। वाहन प्राप्त करने से पूर्व संस्था यह प्रमाणित करेगी कि उक्त व्यय वहन करने की क्षमता रखती है।

VIII. सन्बन्धित संस्था द्वारा नियमित रूप से राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट एवं इसकी परीक्षित लेखा (आडिटेड एकाउन्ट) उपलब्ध कराना होगा।

विधायक निधि की धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व संस्था की राज्य सरकार के साथ उपरोक्त शर्तों को मानने के लिए अग्रिम में एक औपचारिक, अनुबन्ध अवश्य करना होना।

18. बारात घर, चौपाल/रैनबसेरे का निर्माण कराया जाना।

19. सामुदायिक उपयोग एवं समबद्ध गतिविधियों के लिए गैर परम्परागत ऊर्जा/साधन उपयोग का निर्माण की व्यवस्था है शासनादेश संख्या–2/1423/अड़तीस–09–13–500(27)/2013, 27 नवम्बर 2013 द्वारा सोलर लाइट संयंत्र की स्थापना के संबंध में व्यक्तिगत/परिवारिक लाभ के उपकरण/संयंत्र जैसे–सोलर लालटेन/डोमेस्टिक लाइट/पंखा के लाभार्थी अंश का भुगतान लाभार्थी को ही करना होता है और ऐसे व्यक्तिगत लाभ के कार्य निधि से नही कराये जायेंगे। निधि से केवल ऐसे सामुदायिक उपयोग के कार्य कराये जायेंगे जैसे रोड लाइट, पार्क लाइट और इन कार्यों में अन्तर्निहित लाभार्थी अंश को मा० विधायकों की संस्तुति पर विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना से वहन किये जाने पर कोई रोक नहीं है।

20. इलेक्ट्रॉनिकी परियोजनायें कृपया पैरा 2.2 का भी सन्दर्भ लिया जाये।

- सूचना फुटपॉथ
- उच्च विद्यालयों में हैंम क्लब
- सिटीजन बैंड रेडियो
- ग्रंथ सूची डाटा बेस परियोजना
- सी0सी0टी0वी0, वीडियो कैमरा सिस्टम (शासनादेश दिनांक 14.10.2013 के अन्तर्गत)

21. यदि सम्भावित बाढ़ के सन्दर्भ मे कोई विधायक विधायक निधि की धनराशि से नाव क्रय करना चाहें तो ग्राम पंचायतों द्वारा क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

22. माननीय विधायकों के लिए लैपटॉप कंप्यूटर का क्रय का प्रावधान है शासनादेश संख्या–75/38–9–08–500(96)/07 दिनांक 10 मार्च, 2008 के अनुसार ऐसे मा० विधायकगण जो एक बार लैपटाप कम्प्यूटर ले चुके हैं, उनसे डेप्रिसियेशन कास्ट जमा कराकर विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से लैपटाप कम्प्यूटर क्रय हेतु रू0 1 लाख 25 हजार से अनाधिक धनराशि पुनः स्वीकृत की जा सकेगी।

23. प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए आवश्यक फर्नीचर एवं पुस्तकों का क्रय। इस हेतु क्रय प्रक्रिया में राज्य सरकार की क्रय नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा क्रय की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा गठित क्रय समिति द्वारा की जाय। (शासनादेश दिनांक 03.07.2023)

24. राजकीय तथा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर का क्रय। इस हेतु क्रय प्रक्रिया में राज्य सरकार की क्रय नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा क्रय की कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा गठित क्रय समिति द्वारा की जाय। (शासनादेश दिनांक 03.07.2023)

25. कार्यरत राजकीय एलोपैथिक/आर्युवेदिक चिकित्सालयों के अनावासीय भवनों का निर्माण।

26. विधायक निधि के अन्तर्गत जहाँ भवन निर्माण/अन्य स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन गाइड लाइन में अनुमन्य है, उन भवनों/स्थाई परिसम्पत्तियों के बाउन्ड्री दीवाल का भी निर्माण कराया जा सकता है।

27. पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट के कार्यों के लिये निम्न प्रतिबंधों के साथ विधायक निधि की धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है।

I. लाभार्थी संगठन जो समाज सेवा/कल्याण हेतु कार्यरत और कम से कम तीन वर्षों से अस्तित्व में होंगे।
II. लाभार्थी संगठन अच्छी तरह स्थापित एवं प्रतिष्ठित है। उक्त संगठन के प्रतिष्ठा का निर्णय सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा उनके सुसंगत कारकों जैसे समाज सेवा/कल्याणकारी कार्यों, उनकी सम्पूर्ण ख्याति, लाभ रहित कार्यो, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं उनकी सुदृढ वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जायेगा।
III. विधायक निधि की धनराशि का उपयोग स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर किया जायेगा जो सार्वजनिक उपयोग के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा।
IV. उक्त परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का विक्रय/हस्तानान्तरण/ निस्तारण राज्य सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
V. इन सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण एवं रख–रखाव लाभार्थी संगठन को अग्रिम में सुनिश्चित करना होगा, तथा इन सृजित परिसम्पत्तियों का सामयिक सन्प्रेक्षण एवं निरीक्षण राज्य सरकार के अधीन होगा।
VI. लाभार्थी संगठन द्वारा नियमित रूप से राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट एवं उसकी (आडिटेड एकाउन्ट) परीक्षित लेखा उपलब्ध कराया जायेगा
VII. विधायक निधि की धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व लाभार्थी संगठन को राज्य सरकार के साथ उपरोक्त शर्तों को मानने के लिए अग्रिम रूप से एक औपचारिक अनुबन्ध अवश्य करना होगा।

28. शासनादेश संख्या–978/अड़तीस/9–12–500(17)/2012 दिनांक 29.11.2012 के अनुसार "गृह विभाग के अन्तर्गत अग्निशमन विभाग की विभिन्न क्रियाशील ईकाइयों में फायर ब्रिगेड गाड़ियों, आग बुझाने के अन्य उपकरणों के क्रय के प्रस्ताव मा० सदस्य द्वारा दिये जा सकेंगें पूर्व से स्वीकृत/निष्प्रयोज्य हो चुके अग्निशमन वाहनों के पुनर्स्थापन के प्रस्तावों की स्वीकृति जनपद स्तर से प्रदान की जा सकेगी किन्तु नये अग्निशमन केन्द्र की स्थापना अथवा नये अग्निशमन वाहन/उपकरण के क्रय के

प्रस्ताव, इनमें आवर्तक व्यय निहित होने के कारण शासन स्तर पर गृह विभाग एवं वित विभाग के माध्यम से स्वीकृत किये जा सकेंगे।"

29. शासनादेश संख्या–978/अड़तीस/9–12–500(17)/2012 दिनांक 29.11.2012 के अनुसार "विधान मण्डल के **मा० सदस्य द्वारा अधिकतम कुल रू0 25.00 लाख की धनराशि दुर्घटना, अग्निकांड, असाध्य रोगों से पीडित व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु सहायता के रूप में दी जा सकेगी, जो संबंधित जनपद द्वारा सीधे संबंधित चिकित्सालय, अस्पताल. अथवा चिकित्सा संस्थान को उपलब्ध करायी जायेगी।** ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की पात्रता का परीक्षण संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 07 दिन की अवधि में अवश्य कर लिया जायेगा। उक्त सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पृथक गाइड लाइन जारी की जायेगी।" शासनादेश संख्या–30/अडतीस–9–13–500 (17)/2012 दिनांक 12.02.2013 द्वारा दुर्घटना, अग्निकांड, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सीय आर्थिक सहायता हेतु विस्तृत शासनादेश जारी हुआ।

29(क). शासनादेश संख्या–43/2016/407/अड़तीस–9–16–500(17)/2012 दिनांक 11 अगस्त, 2016 के अनुसार "देश के सभी 'अखिल भारीय आयुर्विज्ञान संस्थान'(एम्स) तथा सभी 'पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा संस्थान' (पी0जी0आई0), जहॉ रोगियों को उत्तर प्रदेश के संबंधित चिकित्सालय द्वारा भेजे जाने की संस्तुति की गयी हो, में, मा0 सदस्य चिकित्सकीय सहायक हेतु संस्तुति कर सकते है। ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की पात्रता का परीक्षण संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम 07 दिन की अवधि में अवश्य की लिया जायेगा।" शासनादेश संख्या–43/2016/407/अड़तीस–9–16–500(17)/2012 दिनांक 11 अगस्त, 2016 के अनुसार परिशिष्ट–1 के बिन्दु संख्या–17(1) को निम्नवत् संशोधित/प्रतिस्थापित समझा जाय।

29(ख).पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट के कार्यों के लिये निम्न प्रतिबंधों के साथ विधायक निधि की धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है।

VIII. लाभार्थी संगठन जो समाज सेवा/कल्याण हेतु कार्यरत और कम से कम तीन वर्षों से अस्तित्व में होंगे।

IX. लाभार्थी संगठन अच्छी तरह स्थापित एवं प्रतिष्ठित है। उक्त संगठन के प्रतिष्ठा का निर्णय सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा उनके सुसंगत कारकों जैसे समाज सेवा/कल्याणकारी कार्यों, उनकी सम्पूर्ण ख्याति, लाभ रहित कार्यो, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं उनकी सुदृढ वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जायेगा।

X. विधायक निधि की धनराशि का उपयोग स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन पर किया जायेगा जो सार्वजनिक उपयोग के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा।

XI. उक्त परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का विक्रय/हस्तानान्तरण/निस्तारण राज्य सरकार के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

XII. इन सृजित परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण एवं रख–रखाव लाभार्थी संगठन को अग्रिम में सुनिश्चित करना होगा, तथा इन सृजित परिसम्पत्तियों का सामयिक संप्रेक्षण एवं निरीक्षण राज्य सरकार के अधीन होगा।

XIII. लाभार्थी संगठन द्वारा नियमित रूप से राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट एवं उसकी (आडिटेड एकाउन्ट) परीक्षित लेखा उपलब्ध कराया जायेगा

XIV. विधायक निधि की धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व लाभार्थी संगठन को राज्य सरकार के साथ उपरोक्त शर्तों को मानने के लिए अग्रिम रूप से एक औपचारिक अनुबन्ध अवश्य करना होगा।

30(क) मानसिक/शारीरिक रूप से दिव्याग बच्चों की शासकीय/शासकीय अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक प्रकृति के श्रव्य–दृश्य साधन क्रय कर उपलब्ध कराये जायेंगे, बसर्ते संस्थाओं के पास इनकी सुरक्षा के लिए उचित स्थान एवं प्राविधान हो।

30(ख) दिव्यागों के लिए कृत्रिम अंग/उपकरण का क्रय। यह उपकरण दिव्यांगो को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किये गये दिव्यागता प्रमाण पत्र एवं इस सम्बन्ध में दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेश के अनुसार सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नियमानुसार क्रय कर उपलब्ध कराये जायेंगे।

30(ग) क्रय किये जाने वाले उपकरण दिव्यांगजन कल्याण विभाग में पंजीकृत संस्थाओं से ही क्रय किये जायेंगे। (शासनादेश दिनांक 27.07.2006)

परिशिष्ट–1 में सम्मिलित उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त निम्न कार्य भी विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना में अनुमन्य हैः–

1. शासनादेश संख्या–1407(1)/38–3–500 (85)/2000, दिनांक 09 जून 2005 द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों, राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त राजनेताओं एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में गेट/द्वारों का निर्माण कराये जाने की अनुमन्यता प्रदान की गयी है।

2. शासनादेश संख्या–15/2020/107/38–9–20–500(11)/2018, दिनांक 13.05.2020 द्वारा छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु आश्रय स्थलों की स्थापना का कार्य विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में सम्मिलित किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक गोवंश (छुट्टा गोवंश) आश्रय स्थल का निर्माण कार्य (व्यक्तिगत लाभार्थियों को छोड़कर) के साथ–साथ पूर्व से निर्मित गो आश्रय स्थलों यथा गोवंश वन्य विहार, वृहद गो संरक्षण केन्द्र, अस्थायी गो आश्रय स्थल, कान्हा उपवन या कान्हा गौशाला आदि जिस भी नाम से जाने जाए, में विस्तारीकरण, भण्डारण क्षमता, शेड एवं बाउड्रीवाल आदि जैसे निर्माण कार्य।

शासनादेश संख्या–18/2023/156/38–9–2023/500(39)/2023 टी0सी0 दिनांक–03.07.2023 द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन करते हुए परिशिष्ट–1 में निम्नलिखित अन्य कार्य सम्मिलित किये गये हैः–

1. परिशिष्ट–1 में विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्यों की दृष्टान्त सूची के बिन्दु–1 से आच्छादित विद्यालयों के प्रवेश द्वार एवं प्रवेश स्थल के सौन्दर्यीकरण।

2. उक्त विद्यालयों के प्रांगण में इंटरलॉकिंग, नाली एवं विभिन्न मरम्मत कार्य।

3. उक्त विद्यालयों की स्मार्ट क्लास हेतु आवश्यक उपकरण।

4. उक्त विद्यालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा एवं जनरेटर, इन्वर्टर तथा बैटरी की व्यवस्था।

5. उक्त विद्यालयों में पार्क व पुस्तकालय।

6. उक्त विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन हेतु किचन व भोजन स्थल निर्माण एवं मरम्मत कार्य आदि।

7. उक्त विद्यालय भवनों की मरम्मत, रंगाई–पुताई, बिजली की फिटिंग, फर्श का निर्माण, शौचालय का निर्माण तथा मरम्मत परिसर के अन्दर फर्श, इण्टरलाकिंग, टाइल्स एवं विभिन्न खेल उपकरणों एवं पानी की टंकी आदि की स्थापना एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य।

8. सामुदायिक भवन, पंचायत घर, बारात घर का निर्माण।

9. ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का निर्माण/पुनर्निर्माण।

10. विभिन्न सार्वजनिक उपयोग की इमारतों का निर्माण/पुनर्निर्माण।

11. विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर 500 वॉट से 10 किलो वॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र तथा जनरेटर की स्थापना।

12. विभिन्न ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का पुनरूद्धार एवं सौन्दर्यीकरण।

13. विभिन्न सरकारी एवं सार्वजनिक कार्य की संस्थाओं के परिसर में इलेक्ट्रानिक उपकरण, ए0सी0, कूलर, पंखे, जल शुद्धिकरण संयंत्र, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्यूटर, एल0ई0डी0, टी0वी0 पर व्यय करने की अनुमति।

14. सार्वजनिक एवं पर्यटन महत्व के तालाबों का पुनरूद्धार एवं निर्माण कार्य।

15. सार्वजनिक स्थलों व पर्यटन स्थलों पर वृक्षारोपण एवं पौध सिंचाई संयंत्र की स्थापना।

16. सार्वजनिक स्थलों, नगर पंचायतों, ग्राम सभाओं में पार्कों का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण।

17. सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, अस्पताल, ग्राम सभाओं, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में जिम अथवा ओपन जिम की स्थापना।

18. ग्राम सभाओं, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में विभिन्न पार्कों, सार्वजनिक स्थलों, अस्पताल आदि अन्य स्थानों पर इण्टरलांकिंग, टाइल्स अथवा अन्य साधनों द्वारा फर्श का निर्माण।

19. विभिन्न सामाजिक सार्वजनिक स्थलों पर पार्कों, तालाबों, नदी, नालों एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण एवं ट्री–गार्डों का निर्माण तथा इनके किनारे कटीले तारों का लगाना तथा सिंचाई हेतु स्थायी जल संयंत्रों एवं पाइप लाइन की स्थापना।

20. विधान सभा क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक एवं कृषि कार्यों में सहयोग हेतु स्थायी तथा चलित सोलर संयंत्रों, सोलर सिंचाई संयंत्रों की स्थापना।

21. सार्वजनिक उपयोग के लिये विधान सभा क्षेत्र के अन्दर विभिन्न उपकरणों जैसे–ट्रैक्टर, वाटर टैंकर, जे0सी0बी0, स्वच्छता उपकरण, चलित एवं स्थायी तथा अस्थायी शौचालय, चलित एवं स्थायी पेयजल संयंत्र, कूड़ा ढोने का उपकरण(छोटे चारपहिया वाहन) की खरीद एवं विकास।

22. जल संरक्षण एवं भूजल की वृद्धि हेतु विभिन्न नदी–नालों एवं निचली जमीनों पर चेकडेम का निर्माण एवं विकास।

23. नाला–नाली, ड्रेनों एवं तालाबों की खुदाई व सफाई आदि कार्य।

24. व्यायामशाला, योग केन्द्र, सत्संग भवन आदि कार्यों के निर्माण के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों, ट्रस्टों, ग्राम सभाओं, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं के माध्यम से विकास एवं नव निर्माण कराना।

25. विभिन्न किसान संगठनों, सामाजिक संगठनों, महिला, युवा एवं किसान समूहों को कृषि उपकरण तथा संवर्धन की व्यवस्था करना।

26. दैवीय आपदा में सरकार द्वारा चलायी जाने वाली सभी योजनाओं की पूर्ति करना।

27. गोवंश ऐम्बुलेंस का क्रय करना।

28. राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना।

परिशिष्ट–2

विधायक निधि के अन्तर्गत न कराये जा सकने वाले कार्यों की सूची

1. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के विभागों, अभिकरणों या संगठनों से सम्बन्धित कार्यालय भवन आवासीय गृहों अथवा अन्य भवनों का निर्माण।

2. वाणिज्यिक संगठनों, निजी संस्थाओं अथवा सहकारी संस्थानों से सम्बन्धित कार्य।

3. किसी भी टिकाऊ परिसम्पत्ति के संरक्षण/उन्नयन के लिए विशेष मरम्मत कार्य को छोडकर किसी भी प्रकार की मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य।

4. अनुदान और ऋण।

5. स्मारक या स्मारक भवन।

6. किसी भी प्रकार की वस्तु सामान की खरीद अथवा भण्डार।

7. भूमि के अधिग्रहण अथवा अधिग्रहीत भूमि के लिए कोई भी मुआवजा राशि।

8. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति, उन परिसम्पत्तियों को छोड़कर जो अनुमोदित योजनाओं के भाग है।

8(क) शासनादेश संख्या–18/2023/156/अड़तीस–9–23/500(39)/2023टी0सी0 दिनांक 03.07.2023 द्वारा पुनः संशोधन किया गया है कि "विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत ऐसी संस्था के कार्यों की अनुशंसा नहीं की जायेगी, जहां अनुशंसा करने वाले मा० सदस्य एवं उनके परिवार का कोई भी सदस्य उक्त संस्था/ट्रस्ट का पदाधिकारी है। किसी भी संस्था को रू० 25.00 लाख की धनराशि से अधिक के प्रस्ताव नहीं किये जा सकेंगे। यदि ऐसी संस्था को योजना में रू० 25.00 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है, तो अग्रेतर कार्यों के लिये अनुशंसा नहीं की जा सकेगी।" की व्यवस्था है।

परन्तु किसी भी संस्था को रू0 25.00 लाख की सीमा से अधिक की किसी वृहद अवस्थापना परियोजना यथा **कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स या ऑडीटोरियम के कार्य का प्रस्ताव तथा धनराशि का आवंटन अपवाद स्वरूप प्रशासकीय विभाग के मा0 मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकता है।**

परन्तु विधान मण्डल के एक से अधिक मा0 सदस्य द्वारा (मा0 सदस्य विधान सभा के मामले में उनके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किन्तु उसी जनपद की सीमा के अन्तर्गत तथा मा0 सदस्य विधान परिषद के मामले में उनके निर्वाचन क्षेत्र के किसी जनपद के अन्तर्गत) किसी परियोजना का चयन संयुक्त रूप से किये जाने की स्थिति में प्रत्येक मा0 सदस्य द्वारा रू0 25.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत धनराशि दिये जाने की संस्तुति की जा सकती है। ऐसी परियोजना के मामले में एक कार्य के लिए अधिकतम धनराशि दिये जाने की निर्धारित सीमा शिथिल मानी जायेगी।

इस संदर्भ में ऐसी परियोजना को ही संयुक्त रूप से चयन किया जाये, जिस परियोजना से मा0 सदस्यों के सम्बन्धित विधान मण्डल क्षेत्रों को संयुक्त रूप से लाभ मिलता हो।

9. धार्मिक पूजा के लिए स्थान।

10. पूर्णतः कच्चे मार्ग का निर्माण।